षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-22.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री राहुल तिवारी, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स०वि०स० श्रीमती एज्या यादव, स०वि०स० श्री मदन मोहन तिवारी, स०वि०स० श्री नीरज कुमार, स०वि०स०	बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम सं०-28/2016) की धारा-23(2) के प्रावधानानुसार सक्षम प्राधिकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक आदर्श उपविधि बना सकेंगे जिसके अनुसार उपधारा (1) में निर्देशित सम्पत्ति का प्रबंधन अपार्टमेंट मालिकों के एसोसिएशन द्वारा किया जायेगा । इस आलोक में सभी अपार्टमेंटों में फ्लैट मालिकों का एसोसिएशन बनता है परंतु निबंधन विभाग, सहकारिता विभाग अथवा नगर विकास विभाग, किसी भी विभाग द्वारा एसोसिएशन का निबंधन नहीं किये जाने के कारण न सिर्फ एसोसिएशन बिखर जाता है बल्कि एसोसिएशन के नाम से बैंक में खाता खोलना, पैन कार्ड बनवाना, आयकर रिटर्न भरना आदि संभव नहीं हो पा रहा है । इस तरह से बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 2006 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन नहीं हो पा रहा है । अत: राज्य के फ्लैट मालिकों के एसोसिएशन के निबंधन के लिये सक्षम विभाग को चिन्हित करते हुए समुचित प्रावधान किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, स०वि०स० श्री फराज फातमी, स०वि०स० श्री विनोद प्रसाद यादव, स०वि०स०	राज्य में बी०एड० कोर्स में नामांकन हेतु नालन्दा खुला विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन सत्र-2018-20 के लिए किया गया था । इस संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल छात्रों ने अपनी रूचि के अनुसार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न बी०एड० कॉलेज में नामांकन कराया लेकिन सत्र का एक वर्ष बीत जाने एवं छात्रों का पंजीयन होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों के नामांकन को अवैध ठहराते हुए आपत्ति की जा रही है तथा छात्रों की पढ़ाई बाधित कर इनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है । जबकि इसी सत्र में नामांकन लेने वाले दूसरे विश्वविद्यालय एवं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुछ बी०एड० कॉलेज के छात्रों का नामांकन सही बताकर एक ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा से सफल छात्रों के बीच भेद-भाव किया जा रहा है । इससे छात्रों के बीच रोष है, वे अपने भविष्य को बर्बाद होता देख परेशान हैं । गलत शिक्षा नीति का परिणाम है कि एक ही परीक्षा से सफल छात्रों के बीच विभेद उत्पन्न किया जा रहा है । अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	शिक्षा

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/19- 876 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/19- 876 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 जुलाई, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

19/7/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
19/7/19